

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम ई मेल संख्या

दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

बैंक का नाम बैंक शाखा IFSC code No.....

संलग्नक - 'घ'

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था : सैनिक विधवाओं की पुत्री तथा अनाथ पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु आवेदन पत्र।

1. पूर्व सैनिक का न० पद नाम

2. पता-ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....जिला.....(उत्तराखण्ड)

3. रेजीमन्ट का नाम :3. सेवा की अवधि : वर्ष से.....वर्ष तक।

4. पूर्व सैनिक को प्राप्त अलंकार : .हां/नहीं... (परमवीर चक्र, वीर चक्र, सौर्य चक्र आदि).....।

5. पूर्व सैनिक की मृत्यु की तारीख.....6. मृत्यु का कारण

7. पूर्व सैनिक विधवा का नाम8. विधवा पत्नी की मृत्यु की तारीख :.....

9. पूर्व में प्राप्त पुत्री विवाह अनुदान का विवरण :पुत्री का नाम.....वर्ष.....₹...../-.

10. विधवा पत्नी/अनाथ पुत्री की मासिक पेन्शन सभी भत्तो सहित :.....अन्य आय...../-.

11. पुत्री एवं दामाद की आय क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष से कम नहीं है जो निम्नवत है:-

(अ) पुत्री का नाम जन्म तिथि

(ब) दामाद का नाम जन्म तिथि

12. सैनिक विधवा की पुत्री/अनाथ पुत्री के विवाह की तारीख

13. किसी अन्य संस्थान से पुत्री विवाह अनुदान हेतु आवेदन किया है एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी है : हां/नहीं

14. मेरे द्वारा आवेदन में लिखा गया विवरण सत्य है। मैंने दो से अधिक पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया है तथा कुछ भी नहीं छिपाया है। **उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।**

दिनांक : (₹ 1 रेविन्यू टिकिट) (विधवा/अनाथ पुत्री के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

15. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में पूर्व सैनिक विधवा/अनाथ पुत्री द्वारा भरा गया कथन सत्य हैं।

दिनांक : (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सरपंच/सभासद/नगर निगम/पार्षद के हस्ताक्षर एवं मुहर)

16. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक के सभी दस्तावेज एवं विवरण पूर्ण रूप से जांच कर लिये गये हैं जो सही पाये गये हैं।

17. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के अभिलेखों से जांच के बाद यह पगमाणित किया जाता है कि आवेदक ने दो से अधिक पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु आवेदन प्रेषित नहीं किया है।

दिनांक : (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

सैनिक विधवा का पहचान पत्र की छायाप्रति। अनाथ पुत्री/विधवा की पुत्री का आश्रित प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की छाया प्रति। पुत्री तथा दामाद की कक्षा 10 की अंकतालिका/सर्टिफिकेट की छायाप्रति। वधु व वर की शादी का निमन्त्रण कार्ड। रजिस्ट्रार द्वारा अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम-2010 के अन्तर्गत जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।